# न्यायिक व्यवस्था द्वारा नारी विषयक मानवाधिकारों की सुरक्षा

**जयदेव प्रसाद शर्मा,** अधिवक्ता
रुड़की कचहरी, रुड़की

नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत से नारी का समाज में सर्वोपरि स्थान रहा है। उसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 'यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' हमारा आदर्श रहा है। यह स्थिति वर्षों तक चलती रही है लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया जब मनुष्य ने स्वार्थवश नारी को मात्र भोग-विलास की वस्तु मान लिया। नारी पर नाना प्रकार के अत्याचार किये जाने लगे। वह शोषण और यातना की शिकार होने लगी, लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक नहीं चल सकी। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में नारी में नारी के अतीत का गौरव पुनः लोटने लगा। नारी स्वातंत्रतय की लहर चली समाज और कानून में नारी को पर्याप्त सम्मान एवं संरक्षण मिलने लगा। जीवन के हर क्षेत्र में नारी पुरूष के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी। यहाँ तक कि सत्ता में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई। संविधान के अनुच्छेद 243घ में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के 1/3 स्थान आरक्षित कर दिये गये। आज विधान सभाओं एवं संसद में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किये जाने की मांग की जा रही है। यहाँ यह कहना उचित होगा कि जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून का और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ तब नारी की स्थिति समाज में और अधिक विकशित होने लगी। अब महिला उत्पीड़न को घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई है। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने नारी विषयक मानवाधिकार की समुचित सुरक्षा की है।

मैं यहाँ पर स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह के मामले का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह राय व्यक्त की गई है कि बलात्संग जैसे मामलों की सुनवाई यथासंभव महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाये। इसी संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का एक और क्रान्तिकारी निर्णय अवलोकन योग्य बुद्धिसत्व गौतम बनाम कुमारी शुभा चक्रवर्ती के मामले में एक शिक्षक द्वारा अपनी ही शिष्या का यौन उत्पीड़न किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने इसे गम्भीरता से लिया और मामले के विचारण काल तक उत्पीड़ित महिला को रू. 1000.00 प्रतिमाह के रूप में दिये जाने का आदेश दिया। जैसा कि सभी को विदित है कि इन दिनों महिलायें कर्म क्षेत्र में भी आगे आई हैं, वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं। कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ने लगा है। लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन-उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। विशाका बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम के लिए कतिपय दिशा-निर्देश जारी किये गये यथा-

1. जहाँ कामकाजी महिलायें है वहां के नियोक्ताओं एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कामकाजी महिलाओं के यौन शोषण का निवारण करें। उन्हें रोकने के उपाय करें तथा दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें।
2. कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न के निवारण हेतु तत्सम्बन्धी निर्देश सूचना-पट्टों पर प्रदर्शित किये जायें तथा यौन उत्पीड़न के दुष्परिणामों से जनसाधारण को अवगत कराया जाये।
3. यदि कोई व्यक्ति यौन-उत्पीड़न के लिए अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि पीड़ित महिला एवं मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों को तंग एवं परेशान न किया जाये।

4. यदि किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीड़न किया जाता है तो व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
5. कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न संबंधी परिवादों (शिकायतों) की सुनवाई के लिए शिकायत समितियों का गठन किया जाये।
6. ऐसी समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जाये तथा समिति के न्यूनतम आधे पदों पर महिलाओं को नियुक्त किया जाये।
7. यौन-उत्पीड़न निवारण विषयक साहित्य तैयार किया जाये तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाये।
8. किसी कामकाजी महिला के साथ वाह्य व्यक्तियों द्वारा यौन-उत्पीड़न किये जाने पर ऐसी महिला को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाये।
9. केन्द्र एवं राज्य सरकारें कामकाजी महिलाओं के यौन-उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित विधियां बनाये। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यौन-उत्पीड़न की परिभाषा भी की गई है। यौन-उत्पीड़न में निम्नांकित कृत्यों को सम्मिलित किया गया है-
   क. शारीरिक सम्पर्क अथवा ऐसे सम्पर्क का प्रयास
   ख. यौन सम्पर्क का प्रस्ताव अथवा अनुरोध
   ग. अश्लील टिप्पणियां एवं संकेत
   घ. कामोत्तेजक चित्रों का प्रदर्शन
   ड़. अन्य अशोभनीय अथवा अश्लील आचरण

भारतीय दण्ड सहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्थायें की गई हैं। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग, धारा 366 में अपहरण धारा 376 में बलात्संग, धारा 498 क में निर्दयतापूर्ण व्यवहार तथा धारा 509 व 510 में स्त्री का अपमान करने का दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। बजीर चंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाण जकूला रवीन्द्र बनाम स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश तथा श्रीमती शान्ता बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में दहेज की मांग को लेकर पत्नी साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने को दण्नीय माना गया है। दहेज की विभीषिका से नारी की रक्षा करने हेतु दहेज प्रतिषेध अनधिनियम 1961 में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। यहाँ नारी सम्मान से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण कानून सती निवारण अधिनियम 1987 उल्लेखनीय है। इससे सती प्रथा के निवारण हेतु कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। ओंकार सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में इस अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया गया है।

अब हम महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकारों पर विचार करते हैं संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म मूलवंश जाति लिंग या जन्म सान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नहीं किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं के समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन एवं पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 14 स्त्रियों को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती है। श्रम कानून महिलाओं के लिये सकंटापन यंत्रों तथा रात्रि के कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम

कामकाजी महिलाओं के प्रसूति लाभ की सुविधायें प्रदान करता है। दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिये भरणपोषण का प्रावधान किया है।

इस प्रकार कुल मिलाकर नारी विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया है। बदलते परिवेश में संविधान में 24वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क (ड़) के अर्न्तगत नारी सम्मान को स्थान दिया गया है और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकृत किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नारी सम्मान के रक्षार्थ सजग एवं सतत् प्रयासरत है।

****